छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-10

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020

(फाल्गुन 16, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13, 15 से 17 एवं 19 से 20 (कुल 18) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 14 एवं 18 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, ननकीराम कंवर अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 64 तारांकित एवं 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के पश्चात् निर्देश दिये कि माननीय मंत्री जी किसी प्रश्न का 178 पृष्ठ का परिशिष्ट आये, यह मैं उचित नहीं समझता, भविष्य में आप लोग एवं विधान सभा सचिवालय ध्यान रखें ।

2. बहिर्गमन/बहिष्कार

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न न पूछने देने के विरोध में सदन का बहिष्कार किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13 / 2017 /32, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 **पटल पर रखा।**

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि-आज की कार्य-सूची में 26 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने रायपुर जिले की आरंग तहसील के ग्राम भिलाई में निस्तारी भूमि को सी.आर.पी.एफ. हेतु आरक्षित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने राजनांदगांव जिले की डोंगरगांव नगर पंचायत में जल आवर्धन योजना पूर्ण न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गुरु रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर संभाग के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री उमेश पटेल, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने प्रदेश में कोरोना वायरस से बचने के उपाय किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची के पद 3 के उप पद (05) से (26) तक की सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारें । उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

13 श्री शिशुपाल सोरी

17 सर्वश्री केशव प्रसाद चंद्रा, रामकुमार यादव

20 श्री शैलेष पाण्डेय

21 श्री शैलेष पाण्डेय

26 श्री शैलेष पाण्डेय

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री संतराम नेताम

(2) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल

(3) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(4) श्री गुलाब कमरो

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर

(2) श्री रामकुमार यादव

7. अशासकीय संकल्प

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठान को अनुमेय कार्य सम्मिलित कर पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान किया जाय ।"

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, श्रीमती ममता चन्द्राकर, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव ।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव ने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि - "के साथ समस्त कृषि कार्यों की मजदूरी को भी मनरेगा से जोड़ा जाय ।"

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

तद्नुसार सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठान को अनुमेय कार्य सम्मिलित

कर पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान के साथ समस्त कृषि कार्यों की मजदूरी को भी मनरेगा से जोड़ा जाये ।"

यथासंशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्य सूची में सम्मिलित शेष दो अशासकीय संकल्प आगामी दिवस में लिये जायेंगे ।

अपराह्न 01.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 मार्च,2020 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा